विचार बिन्दु

दूसरों पर किए गए व्यंग्य पर हम हँसते हैं पर अपने ऊपर किए गए व्यंग्य पर रोना तक भूल जाते हैं। –रामचंद्र शुक्ल

अमरीका की जनता से उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है!

इन दिनों अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुमत से किए गए इस फ़ैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के ***रो वर्सेसवेड*** केस में दिये गए गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया है। कोर्ट के निर्णयानुसारअब अमरीका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार नहीं होगा। अलबत्ता, राज्यों के विधान-मण्डल चाहें तो इस बारे में स्वतंत्र निर्णय करते हुए अपने अलग नियम बना सकते हैं। लेकिन, ध्यान देने की बात यह है कि 13 राज्य तो पहले ही गर्भपात को ग़ैर कानूनी करार देने वाले कानून पारित कर चुके हैं। यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद कम से कम आधे अमरीकी राज्य अपने यहां गर्भपात को ग़ैर कानूनी घोषित कर देंगे। एक हेल्थकेयर संगठन ***प्लाण्ड पैरेण्टहुड*** द्वारा ज़ारी किए गए आंकड़ों के अनुसार करीब 36 मिलियन (3.6 करोड) महिलाओं से उनके राज्यों में गर्भपात के अधिकार छिन जाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ***कोडेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग*** अर्थात लोकतांत्रिक फिसलन कहा जा रहा है। स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को भारी भूल बताते हुए कहा है कि इसने अमरीकी महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को ख़तरे में डाल दिया है। उन्होंने इस फ़ैसले को बेहद दुखद बताते हुए यह भी कहा है कि इस फ़ैसले से विचारधारा की कट्टरता का एहसास होता है। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि "अमरीका में आज दसियों लाख औरतें बिना किसी हेल्थकेयर और रिप्रोडक्टिवहेल्थकेयर के हो गई हैं। अमरीका की जनता से उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है।" यहीं यह बात भी स्मरणीय है कि अमरीका में काफी लम्बे समय से गर्भपात विरोधी कानून पर बहसें होती रही हैं। हाल में प्यू द्वारा किये गए एक सर्वे के अनुसार अमरीका के लगभग 64 प्रतिशत वयस्कों का मानना था कि गर्भपात पूरी तरह या फिर अधिकांश मामलों में कानूनी होना चाहिए, मात्र 36 प्रतिशत लोग इस मत के विरोधी थे। यही वजह है कि इस फैसले के आने के बाद कम से कम पचास अमरीकी शहरों में इसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

इस फ़ैसले पर आगे चर्चा से पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेना उपयुक्त होगा।

अमरीका में सन 1971 में गर्भपात कराने में नाकामयाब रही एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसी को रो वर्सेसवेड मामला कहा जाता है। इस याचिका में यह कहते हुए कि गर्भधारण और गर्भपात का फ़ैसला महिला का होना चाहिए न कि सरकार का, गर्भपात की सुविधाओं तक सहज पहुंच की मांग की गई। दो वर्ष बाद अर्थात सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना यह फ़ैसला दिया कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फ़ैसला लेने का अधिकार देता है। इस फ़ैसले के बाद अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा प्रदान करना बाध्यकारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला संविधान संशोधन (1868) पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह संविधान संशोधन स्वतंत्रता और निजता की रक्षा करता है और राज्यसत्ता इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यहीं यह बात भी याद रखी जाने काबिल है कि भले ही 1787 में बना अमरीकी संविधान गर्भपात की बात नहीं करता है, 1868 का यह संशोधन (14वां संशोधन) गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। वैसे, हमने अभी 1973 के जिस फ़ैसले की चर्चा की है उसमें यह भी कहा गया है कि यह आदेश परम नहीं है और संभावित जीवन की रक्षा के दृष्टिगत उसकी सीमाएं हैं। इसी तर्क के चलते वह अदालती आदेश भी ज़ारी हुआ जिसके अनुसार सरकार को गर्भावस्था के पहले तीन माह में तो हस्तक्षेप के अधिकार से वंचित किया गया था परंतु तीसरी तिमाही में उसे गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का हक़ भी दिया था क्योंकि तब तक भ्रूण की जीवन-क्षमता संदेह से परे हो जाती है।

बेशक यह प्रकरण अमरीका का है लेकिन सारी दुनिया में इसे लेकर चिंता का माहौल इस कारण हो रहा है कि आज की दुनिया में एक जगह जो होता है उसका असर बड़ी जल्दी अन्य जगहों पर भी होता है। सोच यह भी है कि धार्मिक समुदायों के प्रभाव के कारण अगर एक देश में नागरिक स्वतंत्रता बाधित होती है तो यह दूसरे देशों के लिए भी ख़तरे की घंटी है।

अब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उसने एक तरह से 1973 में महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था, उसे वापस ले लिया है। और इसीलिए इसे ***डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग*** कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उक्त 14वें संशोधन में जिस निजता के अधिकार की बात कही गई है वह अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गर्भपात केवल गर्भवती महिला का मामला न होकर एक अजन्मे जीवन से जुड़ा मामला भी है। कोर्ट ने एक दिलचस्प टिप्पणी यह भी की है कि अमरीकी संविधान में गर्भपात का उल्लेख नहीं है और यह अमरीकी इतिहास और परम्परा के साथ सुसंगत भी नहीं है। वैसे कोर्ट यह टिप्पणी करते हुए जाने क्यों इस बात को अनदेखा कर गई कि कोई भी संविधान भविष्य को पूरी तरह कैसे देख सकता है? समय के साथ स्थितियां और सोच बदलते हैं और उन्हीं की वजह से संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। ऐसा सर्वत्र होता है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लगभग पांच दशकों से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट अनवरत और स्पष्ट रूप से गर्भपात के अधिकार का संरक्षण करती रही है और इस बीच ऐसी कोई तर्कसंगत बात घटित नहीं हुई है जिसके कारण उसे अपने रुख को बदलना पड़े, फिर भी उसने यह फैसला किया है। अब यहीं इस बात को भी याद कर लें कि अमरीका का यह 1973 का फ़ैसला सबको समान रूप से स्वीकार्य नहीं था। वहां के दो राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इस मुद्दे पर शुरू से ही अलग-अलग ध्रुवांतों पर रहे हैं। 1980 तक आते-आते तो अमरीका में इस मुद्दे पर काफी गम्भीर मतभेद दिखाई देने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सत्र में डॉब्स बनाम ***जैक्सन वीमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन*** का मामला सामने आने पर इस मुद्दे पर एक बार फिर तीखी बहसें शुरू हो गईं। अमरीका में धार्मिक समूहों के लिए गर्भपात हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, और यह स्वाभाविक ही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को उन समूहों की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। असल में यह मामला मिसिसिपी राज्य का था जिसमें राज्य के 15वें सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध वाले कानून को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पक्ष में अपना फैसला देते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया।

अमरीका में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके चलते केंद्र के कानून तमाम राज्यों पर एक साथ लागू नहीं होते हैं और राज्य अलग से अपने ऐसे कानून भी बना और लागू कर सकते हैं जो केंद्र के कानूनों के उलट हों। यह बात सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को एक नया और विचारणीय आयाम दे देती है। कल्पना कीजिए कि एक राज्य में सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला लागू है और किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। अब जो गर्भवती स्त्री आर्थिक रूप से समर्थ होगी वह तो किसी अन्य राज्य में जाकर भी गर्भपात करा लेगी, किंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर गर्भवती वैसा नहीं कर सकेगी। यह माना जा रहा है कि इस फ़ैसले से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और अश्वेत स्त्रियां, युवा, ठामीण क्षेत्रों के लोग, एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय के लोग और ऐसे लोग जो डॉक्यूमेण्टेड नहीं हैं, कुप्रभावित होंगे। इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के अन्य कई फ़ैसलों के साथ भी जोड़ कर देखा और विश्लेषित किया जा रहा है। ऐसे फ़ैसलों के बारे में माना जा रहा है कि ये नागरिक के अधिकारों, जिनमें मतदान का अधिकार भी शामिल है, का क्षरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फ़ैसले को लेकर यह भी कहा जा रह है कि इससे कोर्ट के रो निर्णय में अन्तर्गुम्फित अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी चिंता पैदा हो रही है। इन संवैधानिक अधिकारों में अपने अंतरंग साथियों के चयन का अधिकार और अपने बच्चों के लालन पालन करने के तरीके को चुनने, अपना जीवन साथी चुनने और गर्भ निरोधक का प्रयोग करने या न करने का फैसला करने का अधिकार शामिल हैं।

बेशक यह प्रकरण अमरीका का है लेकिन सारी दुनिया में इसे लेकर चिंता का माहौल इस कारण हो रहा है कि आज की दुनिया में एक जगह जो होता है उसका असर बड़ी जल्दी अन्य जगहों पर भी होता है। सोच यह भी है कि धार्मिक समुदायों के प्रभाव के कारण अगर एक देश में नागरिक स्वतंत्रता बाधित होती है तो यह दूसरे देशों के लिए भी ख़तरे की घंटी है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

वाटर ट्रेन से रेलवे ने कमाए 43 करोड़ रूपए

रेलवे ने वाटर ट्रेन के 200 फेरे पूरे कर लिए हैं

जोधपुर, (कासं) । जोधपुर से पाली अब तक 43 करोड लीटर पीने का पानी भेजा जा चुका है। रेलवे ने वाटर ट्रेन के 200 फेरे पूरे कर लिए हैं। इससे रेलवे को साढ़े छह करोड का राजस्व मिला है। बता दे कि पाली में गहराए जलसंकट के चलते जोधपुर से वाटर ट्रेन 17 अप्रैल को शुरु की थी। अब तक 200 फेरे पूरे हो चुके हैं। जब तक डिमांड है तब तक जोधपुर से पाली पानी भेजा जाएगा।

यह वाटर ट्रेन उत्तर - पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से भर कर भेजी जा रही है। पेयजल संकट से त्रस्त पाली मारवाड़ तक संचालित वाटर ट्रेन ने अपने दो सौ फेरे पूरे कर लिए हैं।

मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय ने बताया कि पेयजल संकट से त्रस्त पाली के लिए जोधपुर से राज्य सरकार की मांग पर इस वर्ष 17 अप्रैल से वाटर स्पेशल ट्रेन संचालित हो रही है। इसके दो सौ फेरे पूरे हो चुके हैं । उन्होंने बताया कि वाटर ट्रेन के दो सौ फेरों के माध्यम से 8 हजार वैगन के जरिए भगत की कोठी से पाली मारवाड तक अब तक 43 करोड 20 लाख लीटर पानी का रेलवे द्वारा लदान किया जा चुका है। जिससे वैगन किराया के बतौर रेलवे को साढे छह करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है । उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा पाली जिला प्रशासन की मांग पर पेयजल सप्लाई नियमित रूप से जारी रखी जाएगी। डीआरएम ने बताया कि 24 अप्रैल को जोधपुर मंडल को वाटर ट्रेन का एक और रैक उपलब्ध हुआ था, तब से दो ट्रेनों के माध्यम से दिन-रात पानी का लदान किया गया।

■ **जवाई बांध में जब तक पानी नहीं आ जाता जोधपुर से पाली पानी भेजा जाएगा**

मानसून का आगमन हालांकि हो चुका है मगर अच्छी बरसात से पाली के सबसे बड़े जलस्त्रोत जंवाई बांध में जब तक पेयजल की आवक नही हो जाती तब तक पाली को जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए मिलने वाले पानी पर निर्भर रहना पड सकता है।

अलवर के सर्जन डॉ. विजयपाल लोगों को बांट रहे कपड़े के थैले

डॉ. विजय पाल ने सब्जी मंडी में कपड़े के थैले बांट लोगों को समझाया।

अलवर, (निसं)। अलवर के सर्जन डॉ. विजयपाल लोगों को थैले बांटकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। रविवार को लोगों को कपड़े के थैले बांटते हुए डॉ. विजयपाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति को खत्म करती है इसके काफी दुष्परिणाम हैं। हर व्यक्ति को बाजार में जाते समय कपड़े का थैला रखने की आदत डालनी होगी तभी बदलाव हो सकेगा।

डॉ. विजयपाल ने बताया कि वे 1 जुलाई से ही थैले बांट रहे हैं। इसी दिन से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। 1 जुलाई को डॉ. विजयपाल ने सब्जीमंडी में कपड़े के 100 थैले आमजन को बांटे थे। पॉलीथिन में सामान न खरीदने की सलाह भी दी थी। डॉ विजयपाल ने कहा कि वे पौधारोपण कर पौधे के पेड़ बनने तक की जिम्मेदारी लेते हैं। डॉ. विजयपाल के बाद अब नेक कमाई समूह के जरिए मानस ग्रुप भी आगे आया है। उन्होंने भी रविवार को कंपनी बाग में आमजन को कपडे के थैले बंटवाए हैं।

एसडीएम कोर्ट के फैसले को बदल एडीजे कोर्ट ने बेटे को पिता का सौंपा

चिड़ावा/सूरजगढ़, (निसं)। चिड़ावा में एसडीएम कोर्ट के फैसले ने बेटे के पिता से अलग कर दिया था बाद में पिता सदमें में बेहोश हो गया था। आज उस पिता की झुंझुनूं के एडीजे कोर्ट में जीत हुई। दरअसल, एक बेटे को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिड़ावा एसडीएम कोर्ट के मां के साथ भेजने के फैसले के विरुद्ध दुखी पिता ने अपने बेटे को पाने के लिए एडीजे कोर्ट में अपील की थी।

सुनवाई के लिए पिता प्रीत अपने वकील के साथ पहुंचा। यहां पर एडीजे ने वकीलों और प्रीत की सुनी। प्रीत ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए पूरी आपबीती कोर्ट को बताई और सारी बात सुनने के बाद एडीजे ने मामले में प्रीत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एसडीएम कोर्ट और प्रीत की पत्नी सुमन को आदेश भेजकर प्रीत को उसके पुत्र जतिन को तुरंत प्रभाव से सौंपने और इसकी पालना रिपोर्ट कोर्ट में 4 जुलाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

■ **बेटे ने पिता तो चूमा और बोला 'आई लव यू पापा'**

फैसला आने के बाद पिता फिर भावुक नजर आया। इसके बाद सूरजगढ थाने में बेटे को लेकर मां थाने आई। यहां पर पिता को देखते ही बेटा जातिन भावुक हो उठा। पिता के पास जाकर बैठ गया। पिता ने बेटे को सांत्वना दी। फिर जैसे ही पिता ने गोद में लिया तो बेटे ने पिता को चूम लिया और कहा कि आई लव यू पापा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंख नम हो उठी। सभी बाप- बेटे के इस प्रेम को देख भाव विभोर हो उठे। इसके बाद प्रीत बच्चे को लेकर अपने गांव रवाना हो गया।

पापा के साथ खुश नजर आया बेटा।

बीकानेर के पत्रकार योगेन्द्र पुरोहित के चित्र साऊथ कोरिया में कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित होंगे

बीकानेर, (कासं)। जीओजे अंतराष्ट्रीय कला महोत्सव 2022 साउथ कोरिया, की वार्षिक कला प्रदर्शनी में चित्रकार योगेंद्र कुमार पुरोहित के चित्र भी प्रदर्शित होंगे ! रूस और यूक्रेन युद्ध की विभीषिका और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं की परिणीति को सांकेतिक रूप से चित्रकार योगेंद्र ने अपने चित्रों में प्रतीक रूप में चित्रित किया है जिसका शीर्षक दिया है युद्ध के परिणाम (रिजल्ट ऑफ़ वॉर)! जीओजे अंतराष्ट्रीय कला महोत्सव साउथ कोरिया का आयोजन प्रतिवर्ष वहां के कला संग्रहालय हेजुंगांग थीम म्यूजियम द्वारा आयोजित किया जाता है ! जिसमे विश्व के सभी देशों के कलाकारों की कृतियों को आमंत्रित किया जाता है। जीओजे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आयोजित होता है ! आमंत्रित सभी कलाकारों की कृतियों को 12 सदस्यों की निर्णायक टीम द्वारा चयन प्रक्रिया से होते हुए चिन्हित किया जाता है ।

बीकानेर के चित्रकार योगेंद्र कुमार पुरोहित की कलाकृतियों को भी प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा जो की कागज पर पेंसिल ड्राइंग स्वरुप में है। योगेंद्र ने इन ड्राइंगस में युद्ध के परिणामों को आत्महत्या करने जैसा कृत्य दर्शाया है । तो एक चित्र में युद्ध के बाद खाली हाथ दर्शाये है । तीसरे चित्र में विश्व युद्ध की आशंका की चिंता को उकेरा है इस चित्र में योगेंद्र ने एक बादल को तीसरे विश्व युद्ध का प्रतीक बनाया है और उसके ठीक निचे सफ़ेद झंडे पर रेस्ट इन पीस/ आर आई पी लिखा है। योगेंद्र कुमार पुरोहित के लिए बड़े उत्साह की बात है की जीओजे अंतराष्ट्रीय कला महोत्सव साउथ कोरिया,की निर्णायक टीम ने योगेंद्र के चित्रों को प्रदर्शन के लिए चुना है।

जीओजे अंतराष्ट्रीय कला महोत्सव साउथ कोरिया 2022 की निर्णायक टीम में भारत देश के भी तीन निर्णायक शामिल रहे। जिनमे कलाकार अर्चना रानी , कलाकार कौशल चौधरी और कलाकार स्वाति घोश है। भारत के अलावा कोलम्बिया ,नॉर्वे,स्पेन ,जर्मनी,ईरान ,इंडोनेशिया ,बोसनी एंड हर्ज़ेगोविना देश के कलाकर भी निर्णायक टीम में शामिल रहे। योगेंद्र ने उन सभी निर्णायकों को साधुवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि उन सब ने मुझ कलाकार के शांति सन्देश को कला के जरिये समझा और उसे सब तक पहुंचाने हेतु जीओजे अंतराष्ट्रीय कला महोत्सव साउथ कोरिया 2022 में प्रदर्शती करने का निर्णय लिया।

डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षकुंज मदार, अजमेर में 500 पेड़ लगाए

विधायक भदेल के नेतृत्व में लगाए पेड़ों पर पट्टिका लगा जिम्मेदारी दी

अजमेर, (कासं)। अजमेर दक्षिण विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता अनिता भदेल के नेतृत्व में रविवार को वन देवी वृक्षकुंज मदार, अजमेर में 500 पेडों का पौधारोपण किया गया।

विधायक भदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ.श्यामप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पखवाडा में सघन वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत् अजमेर दक्षिण विधानसभा में 2000 हजार पौधों का पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत वनदेवी वृक्षकुंज, मदार में 500 वृक्ष लगाये गये। वृक्षारोपण में नीम, पीपल, कुरंज, अर्जुन व करंज आदि के पेड़ लगाये गये हैं।

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नाम से पांच पौधे लगाये गये। वृक्षारोपण के दौरान पेड़ लगाने वाले व्यक्ति के नाम की लौहे की नाम पट्टीका लगाई गई एवं इसके देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति को सौपी गई। विधायक भदेल ने अरुण शर्मा व आदर्श मण्डल कोषाध्यक्ष दिलावर चौहान एवं मनीष भडाना द्वारा लौहे की तख्ती बनवाने में दिये गये सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी, आदर्श मण्डल अध्यक्ष अरुण शर्मा, झलकारी बाई मण्डल अध्यक्ष हेमन्त सांखला, आर्य मण्डल अध्यक्ष मोहन लालवानी, मण्डल महामंत्री रविन्द्र सिंह जादोन, सुरेन्द्र वर्णवाल, हितेश ढाबरिया, भवानी सिंह जेदिया, काजल जेठवानी, गोविन्दराज, संतोष मोर्य, सोनू माखीजानी, सुन्दर जी टांक, व भाजपा मण्डल कार्यकारणी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केन्द्र प्रभारी, पार्षद, जिला वन अधिकारी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

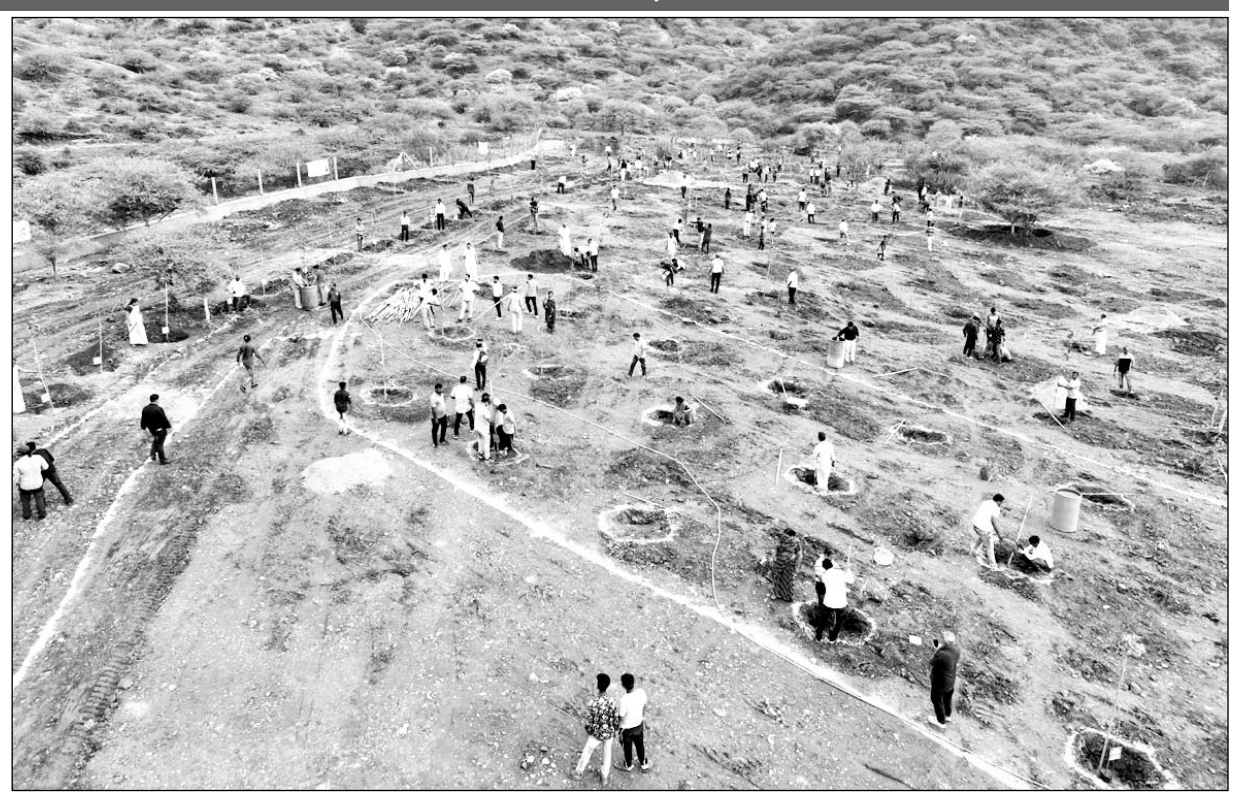

वन देवी वृक्षकुंज मदार, अजमेर में पहाड़ की तलहटी पर 500 पौधों का रोपण किया गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 4 जुलाई, 2022

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2079, मघा नक्षत्र प्रात: 8:44 तक, सिद्धि योग दिन 12:21 तक, बव करण प्रात: 5:50 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमारयोग सूर्योदय से प्रात: 8:44 तक है। रवियोग प्रात: 8:44 से आरम्भ होगा। आज स्कन्ध पंचमी, द्वारकाधीश महोत्सव कांकरोली (राज) है और स्वामी विवेकानन्द पुण्य दिवस है। आज हेरा पंचमी और साई टेऊँराम जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:24 तक। शुभ 9:06 से 10:49 तक, चर 2:13 से 3:56 तक, लाभ-अमृत 3:56 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:42, सूर्यास्त 7:21

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटका धन प्राप्त होगा।

वृष
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला
व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में अतिथियों का आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

मीन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। परिवार में चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होने लगेगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।